

काले धन की समस्या से निपटने के लिए सरकार द्वारा किए गए प्रयास

1. काले धन से निपटने के लिए सरकार द्वारा किए गए प्रयास: देश के अधिकार क्षेत्र के बाहर भारतीयों के पैसे के बारे में कोई विश्वसनीय जानकारी नहीं है। इसके बारे में विभिन्न अनुमान तथा धारणाएं हैं जोकि सही नहीं हो सकती है। इसके अतिरिक्त, इन अनुमानों की राशि के बारे में महत्वपूर्ण अंतर है। 2012 के बजट भाषण के दौरान, वित्त मंत्री ने घोषणा की कि वह संसद के वर्तमान सत्र में, सदन के पटल पर, काले धन पर एक श्वेत पत्र को प्रस्तुत करने का प्रस्ताव करते हैं। सरकार ने एक अध्ययन की भी शुरुआत की है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ देश के बाहर अघोषित आय तथा संपत्ति का अनुमान भी सम्मिलित है। यह अध्ययन तीन अलग-अलग संस्थाओं के द्वारा किया जा रहा है नामतः

क) राष्ट्रीय सार्वजनिक वित्त और नीति संस्थान (एनआईपीएफपी);

ख) राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान (एनआईएफएम); तथा

ग) नेशनल प्रद्यौगिक आर्थिक अनुसंधान परिषद (एनसीईआर)।

देश में देश के बाहर, दोनों ही स्थानों पर, बेहिसाब आय तथा संपत्ति को अंतर्निहित जटिलताओं को देखते हुए, इन्हें अंतिम रूप दिए जाने में अधिक समय लगने की संभावना है। सीबीडीटी तथा इन तीनों संस्थानों तथा प्रत्येक के साथ दिनांक 21.03.2011 को समझौता ज्ञापन की तारीख से 18 महीने के भीतर अध्ययन पूरा हो जाएगा। काले धन के खतरे से निपटने के लिए, सरकार ने एक एक पांचआयामी रणनीति तैयार की है जो इस प्रकार है:

(i) काले धन के खिलाफ वैश्विक मुहिम में शामिल होना,

(ii) एक उचित विधायी ढांचा बनाना,

(iii) अवैध निधियों से निपटने के लिए संस्थानों की स्थापना,

(iv) कार्यान्वयन के लिए व्यवस्था का विकास करना (नई जनशक्ति नीति); तथा

(v) प्रभावी कार्यवाही के लिए जनशक्ति को कौशल प्रदान करना (कौशल के लिए निरंतर प्रशिक्षण)

उपरोक्त रणनीति के अनुसार, सरकार ने पिछले दो वित्तीय वर्षों में कई कदम उठाए हैं, जिनके विवरणों पर निम्नलिखित पैराग्राफ में चर्चा की गई है

1. काले धन के खिलाफ वैश्विक मुहिम में शामिल होना:

1.1 काला धन भू-राजनीतिक सीमाओं से सीमित नहीं होता है। यह सीमाओं को पार करता है तथा यह एक वैश्विक समस्या बन चुका है। दुनिया भर के देशों ने, काले धन के खिलाफ वैश्विक प्रयासों के रूप में तथा ठोस वैश्विक प्रयास प्रारंभ कर दिए हैं, भारत वैश्विक मंच के साथी समीक्षा समूहों के द्वारा विभिन्न देशों के मूल्यांकन में इसकी कमियों को उजागर करने में सक्रिय भूमिका अदा कर रहा है। सरकार, यह सुनिश्चित करने में कि यह देश अधिक पारदर्शिता लाने के लिए कमियों को दूर करें, में भी एक सक्रिय भूमिका का निर्वाह कर रहा है।

1.2 भारत ने, वित्तीय व्यवस्था में अधिक पारदर्शिता तथा उत्तरदायित्व के निर्वाह के लिए वित्तीय अखंडता तथा आर्थिक विकास पर एक कार्य दल में भी शामिल हो गया है।

1.3 भारत ने 25 जून, 2010 को वित्तीय कार्य दल (एफएटीएफ) के 34 वें सदस्य के रूप में, इसमें शामिल हो गया। भारत के लिए एफएटीएफ की सदस्यता अहम है क्योंकि यह भारत को आतंकवाद के खिलाफ लड़ने तथा आतंकवादी निधियों का पता लगाने आतंकवादी वित्तीयन अपराधों तथा धन शोधन के मुकदमों तथा जांच पड़ताल को सफलतापूर्वक करने में सहायक सिद्ध होगा।

1.4 भारत ने काले धन के खिलाफ एशिया पैसिफ़िक समूह (एपीजी) में शामिल हो गया है। एशिया प्रशांत ग्रुप (एपीजी) का, 14 वां वार्षिक साधारण सम्मेलन 18-22 जुलाई, 2011 को कोच्चि में हुआ था। 41 न्यायालयों के 320 से अधिक प्रतिनिधि, पर्यवेक्षकों और विभिन्न संगठनों ने इस साधारण सभा में भाग लिया जिसका उद्घाटन केंद्रीय वित्त मंत्री ने किया। भारत, एपीजी टाइपोलोजी वर्किंग ग्रुप का सह-अध्यक्ष रहा है। तथा एपीजी टाइपोलोजी परियोजना में सक्रिय रूप से योगदान दे रहा है। भारत, वर्तमान में, स्वर्ण और धन शोधन तथा इसके उत्पादन परिष्करण, विपणन तथा गतिविधियों से संबंधित संयुक्त एफएटीएफ / एपीजी टाइपोलोजी परियोजनाओं का सह अग्रणी सदस्य है। भारत ने, 2 दिसम्बर, 4 दिसम्बर, 2013 में दोहा में संयुक्त एफएटीएफ / एमएनएफएटीएफ विशेषज्ञ सम्मेलन में 3 प्रस्तुतीकरण प्रस्तुत किए थे। परियोजना के ब्रेक-आउट सत्र की अध्यक्षता भारत और ऑस्ट्रेलिया ने की थी। दिनांक 19.04.2014 को अवर सचिव (राजस्व) की अध्यक्षता में सभा में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा प्रतिनिधित्व किया गया था जहां निदेशालय ने एपीजी से संबंधित मुद्दों पर, कुछ बिन्दुओं का सुझाव दिया गया था। इसके अतिरिक्त, देश के हितों को अधिक प्रभावी तरीके से सुरक्षित रखने के लिए, एपीजी में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं।

1.5 दिसंबर, 2010 में भारत ने यूरेशियन समूह (ईएजी) की सदस्यता प्राप्त कर ली। 17 वीं ईएजी की पूर्ण बैठक नई दिल्ली (भारत) में 6-9 नवंबर, 2012 को हुई थी जिसमें नौ ईएजी सदस्य देशों के प्रमुखों, एफएटीएफ के प्रतिनिधियों, विश्व बैंक इत्यादि ने भाग लिया था। इस कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य, संशोधित एफएटीएफ मानकों के कार्यान्वयन तथा परस्पर मूल्यांकन रिपोर्ट की समीक्षा पर चर्चा करना था।

1.6 एफआईयूओ के बीच सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एगमोंट समूह, के एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन के रूप में स्वीकार करके, वित्तीय आसूचना ईकाई- भारत (एफआईयू-भारत) के साथ, भारत ने 20 मई, 2007 में एगमोंट समूह में सम्मिलित हो गया। एगमोंट समूह एक अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क के रूप में, एफआईयू के बीच संचार और संपर्क बेहतर बनाने का कार्य करता है। एगमोंट समूह का उद्देश्य पूरे विश्व में धन शोधन, आतंकवादी वित्तीयन तथा अन्य वित्तीय अपराधों के विरुद्ध लड़ने के लिए अपनी संबंधित सरकारों के लिए समर्थन जुटाने के लिए एक मंच प्रदान करना है। वित्तीय कार्य दल (एफएटीएफ) के सम्मेलन की महत्वपूर्ण आवश्यकता के अतिरिक्त, एगमोंट समूह की सदस्यता, एफआईयू भारत तथा इसके प्रतिरूपी एफआईयू द्वारा सूचना के विनिमय को सरल बनाएगी तथा बढ़ावा देगी।

1.7 भारत जी 20 का एक सक्रिय सदस्य है तथा इसने मुद्दों की पहचान करने तथा शासकीय सूचनाओं का मसौदा बनाने, दोनों ही कार्यों में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। जी-20 के सिओल शिखर सम्मेलन, नवम्बर 11-12, 2010, में “देश आगे कर सूचना विनिमय समझौते में सम्मिलित होंगे, जहां कहीं साथी देशों द्वारा इसकी आवश्यक होगी” का वाक्यांश भारत के उदाहरण पर।

2. उपयुक्त विधायी ढांचे का निर्माण:

उपर्युक्त रूपरेखा का निर्माण शासकीय सूचना में सम्मिलित किया गया था। सरकार देश में काले धन की उत्पत्ति को नियंत्रित करने के साथ-साथ विदेशी तटों पर इस प्रकार के काले धन के पलायन को नियंत्रित करने के निरंतर प्रयास कर रही है।

2.1 2009 से, सरकार ने कर की सूचना के विनिमय समझौतों के लिए 46 वरीयता वाले देशों के साथ सम्पर्क स्थापित किया है। वर्तमान में 9 सीमाओं, बाहमास, बरमूडा, ब्रिटिश उत्पत्ति के द्वीप समूह, केमैन द्वीप समूह, आइल ऑफ मैन, जर्सी, ग्वेर्नसे, लाइबीरिया और मकाऊ के साथ यह प्रभावी हो गए हैं। इसके अतिरिक्त, चार देशों, नामतः अर्जेंटीना, बहरीन, जिब्राल्टर और मकाऊ के साथ टीआईईएस पर हस्ताक्षर हुए हैं जो इन देशों के आंतरिक प्रक्रिया के पूरा होने के बाद प्रभावी हो। **अनुलग्नक-1 में आगे के विवरण प्रस्तुत किया गया है।**

2.2 भारत ने, 2009 तक, 78 देशों के साथ दोहरे कराधान परिहार समझौते (डीटीए) ने शामिल हो गया है। इसके पश्चात, 10 अन्य देशों नामतः भूटान, कोलंबिया, एस्टोनिया, यूथोपिया, जॉर्जिया, मेक्सिको, मोज़ाम्बिक, लिथुआनिया, ताइवान तथा उरुग्वे के साथ नए डीटीए पर हस्ताक्षर हुए हैं। जिनमें से 3 देशों नामतः कोलंबिया, इथियोपिया तथा उरुग्वे के साथ डीटीए इन देशों के आंतरिक प्रक्रियाओं के पूरा होने के पश्चात प्रभावी हो जाएंगे। **अनुलग्नक-11 में आगे का विवरण प्रस्तुत किया गया है।**

2.3 भारत के बाहर कुछ देश या प्रदेश हैं जो कि भारत के साथ गैर-परिहार्य सुधारों के रूप में सूचना का प्रभावी विनिमय नहीं करते हैं। सरकार ने, इन असहयोगी क्षेत्रों के विरुद्ध उपायों के लिए एक यंग पेटी निर्धारित करने के लिए विधान का निर्माण किया इस उद्देश्य से, वित्त अधिनियम, 2011 के माध्यम से, खंड 94क अतर्वेशित किया गया है। यह खण्ड, केंद्र सरकार कको देश के बाहर के देश या क्षेत्र को अधिसूचित करने, इसके भारत के साथ, सूचना के प्रभावी विनिमय में को देखते हुए, एक अधिसूचित करने की शक्ति प्रदान करता है। किसी देश या क्षेत्र के एक गैर-सहयोगी देश के रूप में अधिसूचित हो जाने के पश्चात, इस देश / क्षेत्र के निवासियों के साथ संव्यवहार में उच्च सीमा तक रोक, कुछ प्रतिबंधों का विषय बन जाते हैं तथा मूल्य निर्धारण नियमों के हस्तांतरण के अधीन होता है। साइप्रस इसी प्रकार कादेश है जिसे दिनांक 1 नवम्बर, 2013 को अधिसूचना सं 86/2013 के द्वारा आयकर अधिनियम की धारा 94क के तहत "अधिसूचित अधिकारक्षेत्र" के रूप में अधिसूचित कर दिया गया है।

2.4 सरकार ने काले धन का पता लगाने के लिए प्रत्यक्ष कर विधेयक संहिता में कुछ विशेष उपायों को प्रस्तावित किया है।

2.4.1 संपदा कर की उगाही के उद्देश्य से, कर योग्य संपत्ति को विदेशी कंपनी में रखे गए वरीय शेयर या किसी इक्विटी तथा विदेशी ट्रस्ट या किसी अन्य संस्था (विदेशी कंपनी के अलावा) या विदेशी ट्रस्ट के हितों में, अन्यों के मामले में भारत के बाहर स्थित बैंकों में जमाओं को सम्मिलित करने के लिए परिभाषित किया गया है।

2.4.2 सामान्य गैर परिहार नियमावली (जीएएआर) को इसलिए तैयार किया गया है कि कर संबंधी कानूनों से बचने के लिए जो तरीके तैयार की जाती है। उनका सामना किया जा सके।

2.4.3 विशिष्ट नियंत्रित विदेशी कंपनी (सीएफसी) नियमावली को भी इसलिए तैयार किया गया है कि कर अधिकारिता वाले भू-क्षेत्रों में स्थित कंपनियों में अधिक संख्या में शेयर होल्डिंग करके निवासियों द्वारा जो आय अर्जित की जाती है और उप पर कर से बच जाते हैं, उस स्थिति को नियंत्रित किया जा सके।

2.4.4 रिपोर्टिंग आवश्यकताओं को इसलिए प्रारंभ किया गया है ताकि निवासी निर्धारिती की ओर से भारत के बाहर किसी भी संस्था के लिए उस रूप या तरीके से जैसा भी निर्धारित किया जाए, अपने निवेश तथा हितों के प्रस्तुत करना बाध्यकारी बनाया जा सके।

2.5 वैश्विक वित्तीय अखंडता रिपोर्ट के अनुसार, गलत मूल्यों के माध्यम से, जोकि कुल अवैध के 77.6% है, निधियों के हस्तांतरण का प्रमुख चैनल है। सरकार के मौजूदा हस्तांतरण मूल्य प्रावधान, जिन्हें वर्ष 2001 में प्रारंभ किया गया है यह विकसित देशों के हस्तांतरण मूल्य प्रावधानों की तुलना में इतने विस्तृत प्रावधान विस्तृत प्रावधान नहीं हैं। विभिन्न जटिल साझा मूल्य व्यवस्थाओं तथा अस्पष्ट अर्थव्यवस्थाओं की बढ़ती चुनौतियों का सामना करने के लिए, इन हस्तांतरण साझा मूल्य व्यवस्थाओं को उन्नत करने की आवश्यकता महसूस की जा रही है। वित्त मंत्री के दिशा निर्देशों के अनुसार, डीजीआईटी (अंतर्राष्ट्रीय कराधान) ने, हस्तांतरण मूल्य प्रावधानों के संशोधन के मुद्दे पर विचार करने के लिए, एक समिति की स्थापना की है। समिति अपनी अंतरिम रिपोर्ट प्रस्तुत कर चुकी है जो कि विचाराधीन है।

2.6 धन शोधन (संशोधन) निवारक अधिनियम, 2012 (2013 की संख्या 2) को भारत के राष्ट्रपति की सहमति 3 जनवरी, 2013 को प्राप्त हो चुकी है। 15 फरवरी, 2013 से का.आ.343(अ) के माध्यम से, इस अधिनियम के प्रावधान प्रभावी हो गए हैं। जहां पर परिशिष्ट में निर्दिष्ट अपराधों की संख्या में वृद्धि हुई थी।

3. अवैध निधियों के समाधान के लिए संस्थानों की स्थापना:

3.1 सरकार ने कर अपवंचन के उन्मूलन के लिए प्रभावी सूचना विनिमय के लिए, सूचना विनिमय निकाय (ईओआई) की स्थापना करने का निर्णय लिया सीबीडीटी के विदेशी कर प्रभाग के तहत इस निकाय को रखने के प्रयास किए जा रहे हैं।

3.2 सरकार ने, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड में, आयकर निदेशालय (अपराधिक जांच) के निर्माण का अनुमोदन कर दिया है। किसी भी प्रत्यक्ष कर कानून के तहत एक अपराध के रूप में, डीसीआई कार्य करेगी।

3.3 सरकार ने विदेश में दो भारतीय आयकर समुद्रपारीय इकाइयों की स्थापना की है। सूचना विनिमय तंत्र को और अधिक मजबूत करने के लिए, मौजूदा वित्त वर्ष में, और आठ इकाइयों की स्थापना की जा रही है। विदेश में भारत के नव निर्मित आयकर समुद्रपारीय इकाइयों में प्रथम सचिव आईएआरएस (आईटी) से संबंधित, सात अधिकारियों की नियुक्ति के लिए, संसदीय समिति की नियुक्ति का अनुमति प्राप्त हो गई है। विदेश मंत्रालय के साथ, इन अधिकारियों की स्थापना के लिए, विदेश मंत्रालय के साथ समायोजन किया जा रहा है।

3.4 प्रवर्तन निदेशालय की पहुंच को और बढ़ाने के लिए, सरकार ने पांच मौजूदा जोनल प्राधिकारियों करके क्षेत्रीय अधिकारी तथा पांच मौजूदा उप-क्षेत्रीय अधिकारियों को क्षेत्रीय अधिकारियों के रूप में प्रोन्नति को अनुमति प्रदान कर दी है। सरकार ने पूरे देश में, प्रवर्तन निदेशालय के 16 नए उप-क्षेत्रीय कार्यालय तथा एक नए जोनल अधिकारी के निर्माण को भी मंजूरी दे दी है।

3.4.1 प्रवर्तन निदेशालय में मौजूदा अधिकारियों का सुधार तथा इसके अतिरिक्त, नये अधिकारियों की स्थापना भी, अपर अनुमोदित पदों का भरे जाने की प्रक्रिया चल रही है। नए उप-क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून, रायपुर तथा रांची में अस्तित्व में आए हैं।

3.4.2 प्रवर्तन निदेशालय के संवर्ग शक्ति को बल प्रदान करने के उद्देश्य सरकार लगातार भर्ती कर रही है।

निदेशालय की कार्यकारी शक्ति दिनांक 01.07.2011 को 574 थी तथा 28.03.2014 तक (परिशिष्ट-111 में विवरण) यह बढ़कर 694 हो गई है। इस प्रकार निदेशालय में 120 अधिकारियों / स्टाफ की कुल वृद्धि हुई है।

3.4.3 दिनांक 27.09.2011 और 14.12.2012 को विभिन्न क्षेत्रीय / आंचलिक / उप-क्षेत्रीय अधिकारियों के क्षेत्रीय अधिकारिता के संबंध में परिपत्र आदेश जारी किए गए हैं।

4. कार्यान्वयन के लिए व्यवस्था का विकास:

4.1 सरकार ने विदेशी कर विभाग की संरक्षा दोगुनी कर दी है और यह सूचना के विनिमय के क्षेत्र में कार्य करते हैं।

4.2 आयकर विभाग में अंतर्राष्ट्रीय कराधान और हस्तांतरण मूल्य निदेशालय, देश के बाहर अंतर्राष्ट्रीय संव्यवहारों में गलत मूल्य के माध्यम से होने वाले काले धन के प्रवाह के रूप में, भी मजबूत हुआ है।

5. प्रभावी कार्रवाई के लिए जनशक्ति के लिए कौशल प्रदान करना:

5.1 क्षमता निर्माण और कौशल विकास के भाग के रूप में, वित्त वर्ष 2010-11 में, अंतरराष्ट्रीय कराधान तथा हस्तांतरण मूल्य के क्षेत्र में विशेष प्रशिक्षण के लिए, 51 वरिष्ठ अधिकारियों को विदेश भेजा गया था।

5.2 क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय कराधान तथा हस्तांतरण मूल्य में कौशल में वृद्धि के लिए अधिक समय तथा संसाधनों की आवश्यकता होती है इसलिए एक पोस्टिंग नीति को मंजूरी दी गई है जिसके अनुसार, अधिकारियों को कम से कम पांच वर्ष के लिए निदेशालय में नियुक्त किया जा सकता है।

5.3 सदस्य (जांच), सीबीडीटी की अध्यक्षता में, भारतीय राजस्व सेवा के 8 अधिकारियों का एक प्रतिनिधिमंडल संयुक्त राज्य अमेरिका आईआरएस-सीआई तथा अन्य प्रवर्तन एजेंसियों के साथ चर्चा करने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका की यात्रा की जिसका उद्देश्य क्रियात्मक धरातल तथा संरचनात्मक स्तर पर, आपराधिक जांच परिप्रेक्ष्य से कानून प्रवर्तन की कई बारीकियों से जांचकर्ताओं को अवगत कराना था। इस चर्चा से आयकर विभाग, प्रत्यक्ष कर कानून के क्षेत्र में महत्वपूर्ण मुद्दों पर व्यापक प्रदर्शन प्राप्त करने में सक्षम होगा जिससे अन्य बातों को समावेशित करते हुए निम्नलिखित बातें होंगी:

(i) कानूनी रूपरेखा जिसके तहत आईआरएस-आईसी कार्य करते हैं आर्थिक अपराधों में निहित अपराधियों के अभियोजन के संबंध में जो राष्ट्रीय सुरक्षा के खिलाफ या विध्वंसक है, में कानूनों की प्रभावोत्पादकता;

(ii) आईआरएस-आईसी के साथ एफबीआई, राजकोष विभाग तथा अन्य प्रासंगिक संगठनों / विभागों के परस्पर सम्पर्क; तथा

(iii) आईआरएस-आईसी के साथ कानून प्रवर्तन अभिकरणों (एलए) के साथ संबंध।

6. निर्धारित "का पता नहीं लगाया जा सकता" तथा "कोई परिसंपत्ति नहीं / वसूली के लिए अपर्याप्त संपत्ति" वर्गों के तहत वर्गीकृत आयकर मांग पर जांच के लिए विशेष परामर्शों के लिए, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने एक समिति का गठन किया है।

समिति के नियम और शर्तें इस प्रकार हैं: -

(i) एफआईयू-भारत तथा आयकर निदेशालय (पद्धति) के साथ उपलब्ध सूचना के प्रयोग के लिए इन तौर-तरीकों के बारे में परामर्श देना

(ii) बाहरी एजेंसियों को उनको परिसंपत्तियों के ठिकानों का पता न लगाए गए स्थानों की संभाव्यताओं तथा बकाया मांगों बनाम अपर्याप्त संपत्ति के साथ मूल्यांकन द्वारा 6 अज्ञात / अघोषित परिसंपत्तियों की जांच करना

(iii) इन कर चूककर्ताओं के बारे में सूचना देने वाले गुप्तचरों के लिए एक इनाम प्रक्रिया की शुरुआत करना

(iv) क्षेत्रीय संगठनों द्वारा बाहरी एजेंसियों के लिए इस प्रकार की आउटसोर्सिंग के लिए, इनके प्रशासन के निर्धारण के लिए नियामक योजनाओं के प्रस्तावित करना।

(v) पुराने कर चूककर्ताओं के नामों को सार्वजनिक डोमेन में रखने की व्यवहार्यता व कार्यप्रणाली की जांच करना।

समिति अपने संविधान के दो महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।

7. शीर्ष न्यायालय के दिशा-निर्देशों के अनुसार, विभिन्न प्रवर्तन एजेंसियों के द्वारा, हसन अली जैसे महत्वपूर्ण मामलों में, अंतर्विभागीय जांच में समन्वय के लिए राजस्व सचिव की अध्यक्षता का गठन किया गया है। अभी तक, हसन अली और एलजीटी बैंक खातों वाले व्यक्तियों के मामलों पर कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा जांच / अभियोजन के समन्वय के लिए समिति के द्वारा चर्चा कर ली गई है। उच्च स्तरीय समिति के सम्मेलन के दौरान हसन अली तथा एलजीटी बैंक के खिलाफ मामलों के संबंध में जानकारी और एलजीटी बैंक में खाते वाले व्यक्तियों के मामलों की सूचना अन्य कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ, चर्चा की जा रही है।

7.1 माननीय "भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने, राम जेठमलानी तथा अन्य बनाम भारत सरकार [रिट याचिका (सिविल) संख्या 2009 का 176) में दिनांक 04.07.2011 को एक आदेश पारित किया है। इस तत्कालीन मामले में, माननीय "उच्चतम न्यायालय ने, हसन अली समूह से संबंधित मामले के साथ-साथ भारत में संचालित होने वाली अन्य संस्थाओं या भारतीयों द्वारा विदेशी बैंकों में बेहिसाब धन से संबंधित मामलों, चाहे इनमें उपर्युक्त अपराधित या सिविल कार्रवाई का प्रश्न निहित है, के लिए जांच के कर्तव्यों तथा उत्तरदायित्वों, अभियोजन तथा कार्यों के प्रारंभ करने की शक्ति प्रदान करते हुए एक विशेष जांच दल (एसआईटी) के गठन का आदेश दिया। माननीय उच्चतम न्यायालय ने आदेश के पैराग्राफ सं. 49, दिनांक 4 जुलाई, 2011 रिट याचिका (सी) सं. 2009 का 176 के तहत निर्देश दिया कि भारत सरकार द्वारा तत्काल प्रभाव से विशेष जांच दल के रूप में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया जाएगा तथा इस प्रकार गठित जांच दल में निदेशक, अनुसंधान तथा विश्लेषण विंग शामिल होंगे। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह भी निर्देश दिया गया है कि इनके द्वारा इस समिति की अध्यक्षता की जाएगी तथा इसमें सर्वोच्च न्यायालय के निम्नलिखित प्रमुख न्यायाधीश सम्मिलित होंगे:

(i) अध्यक्ष के रूप में माननीय न्यायमूर्ति बी.पी. जीवन रेड्डी; तथा

(ii) उपाध्यक्ष के रूप में माननीय न्यायमूर्ति एम.बी. शाह

सरकार ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दिनांक 04.07.2011 के आदेश में संशोधन के लिए, तथा एसआईटी के गठन तथा तदनुसार इसके संबंध में आदेश एवं एसआईटी के गठन से संबंधित पैराग्राफ 49 और 50 में दिए गए दिशा निर्देशों को अलग रखने के लिए आवेदन किया है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष, भारत सरकार द्वारा दिए गए आवेदन को बनाए रखने के लिए तर्क प्रस्तुत किए गए थे। रिट याचिका संख्या डब्ल्यू पी (सी) 176/2009 (राम जेठमलानी तथा अन्य बनाम भारत सरकार तथा अन्य) के मुख्य आदेश में, दिनांक 23.09.2011 को, भारत सरकार के रिकाल आवेदन के रखरखाव के आदेश को स्पष्ट कर दिया गया है। माननीय न्यायाधीश एस. एस. निज्जर की खडपीठ ने सात अलग निर्णयों की उद्घोषणा की तथा इस प्रकार मामले को भारत के माननीय मुख्य न्यायाधीश को मामले की सुनवाई के लिए, एक बृहत्तर पीठ के निर्माण के लिए, सौंप दिया।

8. भारतीय नागरिकों के विदेशों में रखे गए अवैध धन के बारे में जानकारी प्राप्त करने के प्रयास किए गए हैं। सरकार इस संबंध में सभी प्रासंगिक सुझावों का अनुसरण कर रही है। जर्मनी से, एलजीटी बैंकों में भारतीय बैंक खाते के बारे में सूचना पहले की एकत्रित की जा चुकी है। अन्य देशों के साथ इसी तरह के मुद्दों का भी अनुसरण किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, प्रमुख मामलों में जहां सूचना की आवश्यकता है, विभिन्न देशों के साथ सूचना प्राप्त करने के लिए निवेदन किया जा रहा है। आयकर अधिनियम, 1961 में विभिन्न संशोधनों के माध्यम से उपायों का एक क्रम को पीढ़ी और बेहिसाब धन का उपयोग करने के लिए भी प्रस्तावित किया गया था, जिसमें,

- (i) विदेश में रखी परिसंपत्ति के मामलों में अनिवार्य रिपोर्टिंग आवश्यकता को प्रारंभ करना।
- (ii) विदेशों में रखी परिसंपत्तियों के संबंध में 16 वर्षों तक मूल्यांकन को पुनः प्रारंभ करना।
- (iii) 2 लाख रु. से अधिक आभूषण या बुलियन की नकदी में खरीद पर स्रोत पर कर संग्रह।
- (iv) एक निर्दिष्ट सीमा से अधिक (कृषि भूमि के अलावा) के हस्तांतरण पर स्रोत पर कर कटौती।
- (v) कोयला, लिग्नाइट और लौह अयस्क में व्यापार पर स्रोत पर कर संग्रहण।
- (vi) उचित बाजार मूल्य की पहुंच में कर साझा प्रीमियम के साथ-साथ शेयरहोल्डरों से प्राप्त निधियों के लिए ध्यानपूर्वक रखी गई कंपनियों पर प्रमाण के दायित्व को बढ़ाना।
- (vii) आय के स्लैब के 30 प्रतिशत के उच्च स्तर पर अस्पष्ट धन, क्रेडिट्स, निवेश, व्यय आदि का कराधान।

9. पिछले दो वित्तीय वर्षों में सरकार द्वारा किए गए अन्य प्रयासों तथा पांच आयामी रणनीतियों के कारण, हमने देश से बाहर रखे गए अवैध धन तथा देश के बाहर अवैध धन के हस्तांतरण पर रोक, दोनों ही क्षेत्रों में पर्याप्त सफलता हासिल की है, जो इस प्रकार है: -

9.1 पिछले 24 महीनों में आयकर विभाग ने, एलजीटी बैंक खातों के अतिरिक्त, भारतीय नागरिकों द्वारा विभिन्न देशों में प्राप्त भुगतानों के विवरण वाले संधि वाले देशों से सूचना के 7704 भिन्न-भिन्न विषय प्राप्त किए हैं। यह सूचना विभिन्न चरणों में परिष्करण एवं जांच के चरण में है।

9.2 एलजीटी बैंक में खाते रखने के मामले में, सीबीडीटी द्वारा दायर की गई अभियोजन शिकायतों के फलस्वरूप, प्रवर्तन निदेशालय ने भी आवश्यक कदम उठाए हैं। इन मामलों में जांच दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई में की जा रही है।

9.2.1 सीबीडीटी द्वारा, निदेशालय को भेजे गए 17 मामलों में से, अधिकतर मामलों में संबंधित व्यक्तियों के बयानों को दर्ज किया गया है। इन सभी ने उक्त खातों के बारे में स्वयं से संबंध से इंकार किया है। इसके पश्चात निदेशालय ने आयकर विभाग से सूचना / प्रपत्र मंगाए हैं इन्हें प्रस्तुत करने में आयकर विभाग ने यह कहकर असमर्थता जताई है कि प्रत्यक्ष कराधान पद्धति के अतिरिक्त अन्य किसी उद्देश्य के लिए सीबीडीटी द्वारा सूचनाओं को साझा करने की अनुमति इन देशों के साथ संधियों में कुछ विशेष खंडों को ध्यान में रखकर नहीं दी जा सकती है। प्रवर्तन निदेशालय द्वारा संबंधित न्यायालयों से सूचना जहां आयकर

विभाग द्वारा अभियोजन शिकायतों को दर्ज कराया गया है सूचना / प्रपत्र प्राप्त करने के लिए प्रयास किए जा हैं परंतु न्यायालय में उपलब्ध केवल सीमित प्रपत्र ही अभी तक प्राप्त किए जा सके हैं।

9.2.2 उपरोक्त 17 एलजीटी बैंक खातों में से, फेमा, 1 999 के तहत एक कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है जिसमें 2.26 करोड़ रु. तक के उल्लंघन के मामले आते हैं। 02 मामलों में, संबंधित व्यक्तियों ने दावा किया है कि वह पिछले कुछ सालों से एनआरआई / विदेशी नागरिक रहे हैं। इन मामलों में जांच अभी भी जारी है।

9.3 सरकार ने, पिछले वित्तीय वर्ष में, विशेष करदाताओं के मामले में, अपने संधि साझेदारों से 175 से अधिक अनुरोध किए हैं।

9.4 सरकार का मुख्य ध्यान गैर-मूल्य निर्धारण पर है जो कि देश के बाहर अवैध धन के हस्तांतरण का मुख्य और नया तरीका है। पिछले पांच वर्षों में 14,655 करोड़ रुपये के गलत मूल्य निर्धारण के व्यापार की जांच की तुलना में, पिछले 2 वित्तीय वर्षों में 33,784 करोड़ रुपए के गलत मूल्य निर्धारण का पता लगाया गया है।

9.5 सीमा पार संव्यवहार तथा व्यापार सौदों पर विशेष ध्यान के परिणामस्वरूप, पिछले वित्तीय वर्ष में 22,697 करोड़ रुपये के कर संग्रहण हुआ है। टैक्स हैवन देश के साथ सीमा पार समझौते वाले वोडाफोन से मामले में सीबीडीटी ने 11,218 करोड़ रुपये की मांग प्रस्तुत की है जिसमें से 2500 करोड़ रुपये की वसूली हो गई है।

9.6 सरकार ने, बेहिसाब आय का पता लगाने के लिए, केंद्रित खोजों का भी आयोजन किया है (**अनुलग्नक -4 में विवरण**)

9.6.1 आयकर विभाग ने, इसकी संपत्तियों के आधार पर, संभावित आयकर वाले उन व्यक्तियों की पहचान कर ली है जिन्होंने पैन होने के बावजूद भी आयकर विवरणी नहीं भरी है। उन 1,05,000 व्यक्तियों को पत्र भेजे जा चुके हैं जिन्होंने उच्च मान के वित्तीय संव्यवहार किए हैं लेकिन निर्धारण वर्ष 2010-11 तथा 2011-12 की अपनी आयकर विवरणी दाखिल नहीं की है।

9.6.2 महाराष्ट्र के वैट / विक्रय कर विभाग से संग्रहित सूचना के आधार पर, आयकर विभाग ने ध्यान दिया कि व्यापक पैमाने पर करदाताओं ने खरीद/ खर्चों के लिए कुछ हवाला विक्रेताओं से फर्जी / गैर-वास्तविक बिल प्राप्त किए हैं और इनका प्रयोग अपनी कर योग्य आय को छिपाने के लिए किया है। मुंबई में लगभग 150 तता पूणे में 39 मामलों में, हाल ही के महीनों में आयकर विभाग द्वारा कराई गई जांच तथा आगे इस प्रकार के क्रमशः लगभग 6,500 करोड़ तथा 722 करोड़ के जाली बिलों का और पता चला है। इसके अतिरिक्त, कानून के अनुसार, इन मामलों में आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।

9.7 जर्मन कर कार्यालय से प्राप्त सूचना के आधार पर, 18 व्यक्तियों के मामले में कर निर्धारण पूरा किया गया है। 17 मामलों में है (1 व्यक्ति मृतक है) कर अपवंचन के लिए अभियोजन शुरू किया गया है। सीबीआई तथा प्रवर्तन निदेशालय को आगे की जांच के लिए सूचना प्रदान की गई है।

9.8 हसन अली खान के मामले में, आयकर विभाग से जानकारी मिलने पर फेमा / पीएमएलए के तहत जांच शुरू हो गई है। विभिन्न विदेशी अधिकारिता वाले देशों जिनमें स्विट्ज़रलैंड, सिंगापुर, संयुक्त अरब अमीरात, ब्रिटेन, अमेरिका, हांगकांग और लक्समबर्ग शामिल हैं, को एलआरएस तथा पूरक एलआरएस भेज दिए गए हैं। इन में से कुछ देशों से आंशिक उत्तर प्राप्त हुए हैं। अभी तक की गई जांच के आधार पर, हसन अली खान तथा अन्य को फेमा, 1999 के कई प्रावधानों के उल्लंघन के लिए कारण बताओ नोटिस जारी कर दिए गए हैं।

तथापित न्यायनिर्णयन प्रक्रिया के कारण बताओ नोटिस के संबंध में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय की रिट याचिका (ग) सं.2009 का 176 के दौरान, दिए गए आश्वासन के दृष्टिकोण से स्थगित रखा गया है।

9.9 निदेशालय ने दिनांक 07.03.2011 को श्री हसन अली खान, काशीनाथ तपिरिया, फिली आनंदराज के विभिन्न परिसर में तलाशी भी करवाई है। श्री हसन अली खान, काशीनाथ तपिरिया को दिनांक 07.03.2011 को पीएमएलए के तहत गिरफ्तार किया गया था तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के हस्तक्षेप से उनको प्रारंभ में प्रवर्तन निदेशालय की हिरासत में हवालात भेज दिया गया। बाद में उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।

9.10 दिनांक 16.08.2011 को, उच्चतम न्यायालय ने उच्च न्यायालय के श्री हसन अली खान को जमानत प्रदान करने वाले आदेश को जारी रखा तथा बाद में दिनांक 30.09.2011 को आदेश के तहत जमानत को रद्द कर दिया गया। बाद की सारी जमानत याचिकाओं को भी रद्द कर दिया गया है। इस मामले की एक जमानत याचिका माननीय मुंबई उच्च न्यायालय में विचाराधीन है। इसके अतिरिक्त भारत सरकार के महान्यायवादी के स्थान पर भविष्य की सुनवाई के लिए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल उपस्थित रहेंगे। श्री काशीनाथ तपिरिया ने माननीय उच्च न्यायालय में चिकित्सा आधार पर एक आवेदन किया था जिसे माननीय उच्च न्यायालय ने, दोनों पक्षों की सुनवाई के पश्चात दिनांक 25.10.2013 को दिए आदेश के तहत मुख्यतः अपनी बीमारी के आधार पर, श्री काशीनाथ तपिरिया को सौंप दिया था। प्रवर्तन निदेशालय ने श्रीमती रीमा हसन अली खान पत्नी श्री हसन अली खान के खिलाफ दिनांक 09 जून, 2011 को, विशेष जज (पीएमएलए), मुंबई के समक्ष, आईपीसी, 1860 की धारा 174 के साथ पठित, पीएमएलए, 2002 की धारा के तहत, अनुपस्थिति के लिए, ईसीआईआर / 02 / एमजेओ / 2007 में, मामला सं. 2 में, पीएमएलए दाखिल की थी। दिनांक 25.10.2013 को उच्च न्यायालय ने अपराधिक डब्ल्यूपी सं. 23/2012 के तहत आदेश दिया था कि उक्त शिकायतकर्ता को प्रवर्तन निदेशालय को, उपर्युक्त न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत होने के लिए, वापिस भेज दिया जाए। तदनुसार, माननीय विशेष न्यायाधीश (पीएमएलए), मुंबई दिनांक 16.08.2012 के पीएमएलए विशेष मामला सं. 2/2011 को प्रवर्तन निदेशालय को वापस भेजने के लिए खुश थे। उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में, उक्त शिकायत, मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट, एसप्लानेड, मुंबई के समक्ष दिनांक 27.06.2013 के समक्ष प्रस्तुत की गई थी। रिट याचिका में, आईए सं.8 (नागरिक) सं. 2009 के 176 के काले धन के संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दिनांक 26.03.2014 को इसे खारिज कर दिया गया। आईए सं. 9 में उक्त रिट याचिका दिनांक 22.04.2014 को सुनवाई के लिए प्रस्तुत होगी।

9.11 इस मामले में दो अनंतिम अनुलग्नक आदेश (पीएओ) 30.06.2011 पीएमएलए के तहत जारी किए गए हैं:

- (i) श्री हसन अली खान तथा श्रीमती रीमा अली खान की चल और अचल संपत्ति, जिसकी कीमत 16.30 करोड़ है, के बारे में;
- (ii) श्री काशीनाथ तापुरिया, श्री विजय कुमार मुंद्रा और मैसर्स आर.एम. इन्वेस्टमेंट तथा ट्रेडिंग कं प्राइवेट लि. को अचल संपत्ति जिसकी कीमत 27 करोड़ रु. है, के बारे में;
- (iii) उपरोक्त दोनों उल्लिखित अनंतिम अनुलग्नक आदेशों की पुष्टि न्याय निर्णयन प्राधिकरण ने कर दी थी। श्री हसन अली खान / श्रीमती रीमा अली खान की सम्पत्ति को, पीएमएलए के तहत उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई थी। उच्च न्यायालय ने संपत्ति से उनके निष्कासन के खिलाफ दिनांक 09.02.2012 को एक आदेश पारित किया। उनकी संपत्ति पर दिनांक 14.02.2012 को कानूनी कब्जा कर लिया गया। इस मामले में उनकी अपील को मुंबई उच्च न्यायालय ने प्राधिकरण से संपर्क स्थापित करने का आदेश देते हुए खारिज कर दिया। तब से आदेश के खिलाफ, अंतरिम आदेश अभी भी जारी है।
- (iv) पीएमएलए, 2002 के तहत धन शोधन के अपराध के लिए अभियोजन शिकायत दिनांक 06.05.2011 को मुंबई में प्राधिकृत न्यायालय में श्री हसन अली खान और काशीनाथ तपुरिया के खिलाफ दायर की गई थी।

हालांकि माननीय न्यायालय ने संज्ञान लिया है परंतु सुनवाई शुरू होनी अभी बाकि है। मुंबई, हैदराबाद, पुणे और पटना में, श्री हसन अली खान के खिलाफ धोखेबाजी से पासपोर्ट प्राप्त करने के लिए, एफआईआर दर्ज की गई है। यद्यपि, मुंबई पुलिस पहले ही दिनांक 18.01.2012 को इसे मामले में चार्ज शीट दाखिल कर चुकी है लेकिन अन्य स्थानों पर फौजदारी जांच अभी भी चल रही है। इसके अतिरिक्त हैदराबाद के निजाम/ सलारजंग म्युजियम से संबंधित कीमती वस्तुएं/ आभूषण/ प्राचीन सामान की चोरी के लिए दिनांक 01.05.2011 की एफआईआर, आंध्र प्रदेश पुलिस द्वारा दर्ज की गई है।

10. माननीय वित्त मंत्री द्वारा, 2012 की बजट भाषण की घोषणा में पिछले वर्षों के दौरान काले धन के प्रसार तथा पीढ़ी की रूग्णता से निपटने के लिए तथा देश के बाहर इसके हस्तांतरण के बारे में रेखांकित पांच आयामी रणनीति को लागू करने के लिए उठाए गए सक्रिय कदमों के परिणाम, संधि वाले देशों की साथ कर सूचना के निष्ठापूर्वक विनिमय की कार्यविधि सम्मिलित थी। भारत कर मामलों में पारस्परिक प्रशासनिक सहायता पर बहुपाक्षिक कन्वेंशन तथा सीबीडीटी में आपराधिक जांच निदेशालय की स्थापना का 33वां सदस्य बन गया है।

10.1 वित्त मंत्री ने, काले धन पर सदन के सभा पटल पर एक श्वेत पत्र प्रस्तुत किया है।

संलग्नक-1

कम कर अधिकारिता बिना कर के, कर सूचना विनिमय समझौता (टीआईईए) के हस्ताक्षर तथा वार्ता हमने 2009 के दौरान 22 प्राथमिकता वाले देशों तथा 25 नए देशों/अधिकारिता/ 2012 के दौरान टीआईईए में प्रवेश किया जिनका विवरण इस प्रकार है:

2009 के दौरान देश के साथ संपर्क किया गया (22 नंबर): अर्जेंटीना, बहरीन, बरमूडा, बहामास, ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स, केमन द्वीप, कांगो, कोस्टा रिका, जिब्राल्टर, गर्नसी, आइल ऑफ मैन, जर्सी, लाइबेरिया, लिकटेंस्टीन, मकाऊ, मालदीव, मार्शल द्वीप, मोनाको, नीदरलैंड एंटिल्स, पनामा, सेंट किट्स एंड नेविस, सेशेल्स।

2012 के दौरान जिन देशों के साथ वार्ता की (25 नंबर): एंडोरा, एंगुइला, एंटीगुआ और बारबुडा, अरूबा, बारबाडोस, बेलीज, ब्रुनेई दारुस्सलाम, कुक आइलैंड्स, कुराकाओ, डोमिनिका, डोमिनिकन गणतंत्र, फ़ैरो आइलैंड्स, ग्रीनलैंड, ग्रेनेडा, होंडुरास, जमैका, मोंटेसेराट, पेरू, सेंट लूसिया, सेंट विसेंट और द ग्रेनाडाइन्स, सामोआ, सैन मैरिनो, सिंट मार्टिन, तुर्क एंड कैकोस और वानुअतु।

इन देशों के साथ वार्ता की वर्तमान स्थिति इस प्रकार है:

बातचीत पूर्ण (20 नंबर): अर्जेंटीना, बहामास, बहरीन, बेलीज, बरमूडा, ब्रिटिश वर्जिन द्वीप समूह, केमैन द्वीप, कांगो, कोस्टा रिका, जिब्राल्टर, ग्वेर्नसे, आइल ऑफ मैन, जर्सी, लाइबेरिया, मकाऊ, मार्शल द्वीप, मोनाको, सेंट किट्स एंड नेविस, सैन मैरिनो और सिंट मार्टिन। टीआईईए हस्ताक्षर (14 नंबर): अर्जेंटीना, बहामास, बहरीन, बरमूडा, ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स, केमैन द्वीप, जिब्राल्टर, ग्वेर्नसे, आइल ऑफ मैन, जर्सी, लाइबेरिया, मकाऊ, मोनाको और लिकटेंस्टीन।

बल में प्रवेश (14 नंबर): अर्जेंटीना, बहामास, बहरीन, बरमूडा, ब्रिटिश वर्जिन द्वीप समूह, केमैन आइलैंड्स, जिब्राल्टर, ग्वेर्नसे, आइल ऑफ मैन, जर्सी, लेचस्टीन, लाइबेरिया, मकाऊ, और मोनाको।

डीटीए देशों के साथ सूचना के विनिमय से संबंधित धाराओं के क्षेत्र को व्यापक करना:

संलग्नक-II 2009 से कुल 78 डीटीए प्रभावी थे। जिन 78 देशों में से 3 देशों नामतः आइसलैंड, म्यांमार और ताजिकिस्तान पहले ही बैंकिंग सूचना के आदान प्रदान के लिए प्रावधान कर रहे थे। तथापि, विषय को मुद्दों को 75 देशों ने स्वीकार कर लिया था इन 75 के अतिरिक्त, 20 देशों के साथ, नए डीटीए की वार्ता 2009 में पूरी हो चुकी है। इन देशों की सूची निम्नानुसार है:

जिन देशों के साथ डीटीए 2009 में लागू हुए थे (75 नंबर): अर्मेनिया, ऑस्ट्रेलिया, आस्ट्रिया, बांग्लादेश, बेलारूस, बेल्जियम, बोत्सवाना, ब्राजील, बुल्गारिया, कनाडा, चीन, साइप्रस, चेक गणतंत्र, डेनमार्क, मिस्र, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस, हंगरी, इंडोनेशिया, आयरलैंड, इज़राइल, इटली, जापान, जॉर्डन, कज़कस्तान, केन्या, कोरिया, कुवैत, किर्गिज गणराज्य, लीबिया, लक्समबर्ग, मलेशिया, माल्टा, मॉरीशस, मंगोलिया, मोन्टेनेग्रो, मोरक्को, नामीबिया, नेपाल, नीदरलैंड, न्यूजीलैंड, नॉर्वे, ओमान, फिलीपींस, पोलैंड, पुर्तगाली गणराज्य, कतर, रोमानिया, रूस, सऊदी अरब, सर्बिया, सिंगापुर, स्लोवेनिया, दक्षिण अफ्रीका, स्पेन, श्रीलंका, सूडान, स्वीडन, स्विस परिसंघ, सीरिया, तंजानिया, थाईलैंड, त्रिनिडाड और टोबैगो, तुर्की, तुर्कमेनिस्तान, संयुक्त अरब अमीरात, युगांडा, ब्रिटेन, यूक्रेन, अमेरिका, उजबेकिस्तान, वियतनाम और जाम्बिया। जिन देशों के साथ नए डीटीए के लिए बातचीत पूरी हो चुकी है (20 संख्या): अल्बानिया, भूटान, चिली, क्रोएशिया, कोलंबिया, एस्टोनिया, इथियोपिया, फिजी, जॉर्जिया, हांगकांग, ईरान, लाटविया, लिथुआनिया, मैसेडोनिया, मेक्सिको, मोज़ाम्बिक, सेनेगल, ताइवान, उरुग्वे और वेनेजुएला। इन देशों के साथ वार्ता की वर्तमान स्थिति निम्नानुसार है:

पुराने डीटीए के संशोधन:

वार्ता पूर्ण (31 नंबर): अर्मेनिया, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, बेलारूस, ब्राजील, डेनमार्क, फिनलैंड, फ्रांस, इंडोनेशिया, केन्या, लक्समबर्ग, मलेशिया, माल्टा, मोरक्को, नेपाल, नीदरलैंड, नॉर्वे, पोलैंड, रोमानिया, सिंगापुर, दक्षिण अफ्रीका, स्पेन, श्रीलंका, स्वीडन, स्विट्जरलैंड, तंजानिया, थाईलैंड, संयुक्त अरब अमीरात, ब्रिटेन, उजबेकिस्तान और जाम्बिया।

कैबिनेट की स्वीकृति प्राप्त (28 नंबर): अर्मेनिया, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, बेलारूस, डेनमार्क, फिनलैंड, फ्रांस, इंडोनेशिया, लक्समबर्ग, मैसेडोनिया, मलेशिया, माल्टा, मोरक्को, नेपाल, नीदरलैंड, नॉर्वे, पोलैंड, रोमानिया, सिंगापुर, स्पेन, श्रीलंका, स्वीडन, स्विट्जरलैंड, तंजानिया, थाईलैंड, संयुक्त अरब अमीरात, यू.के. और उज्बेकिस्तान।

डीटीए हस्ताक्षर (25 नंबर): ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, ब्राजील, डेनमार्क, फिनलैंड, इंडोनेशिया, लक्समबर्ग, मलेशिया, माल्टा, मोरक्को, नेपाल, नीदरलैंड, नॉर्वे, पोलैंड, रोमानिया, सिंगापुर, दक्षिण अफ्रीका, स्पेन, श्रीलंका, स्वीडन, स्विट्जरलैंड, तंजानिया, संयुक्त अरब अमीरात, यू.के., उज्बेकिस्तान।

डीटीएएस बल में प्रवेश (11 नंबर): बांग्लादेश, फिनलैंड, लक्समबर्ग, मलेशिया, नेपाल, नीदरलैंड, नॉर्वे, सिंगापुर, स्विट्जरलैंड, तंजानिया और यू.के.।

नया डीटीएः

डीटीए हस्ताक्षरित (14 नंबर): अल्बानिया, भूटान, कोलम्बिया, क्रोएशिया, एस्टोनिया, इथियोपिया, जॉर्जिया, लाटविया, मैसेडोनिया, मेक्सिको, मोज़ाम्बिक, लिथुआनिया, ताइवान और उरुग्वे। डीटीए बल (10 संख्या) में प्रवेश किया: अल्बानिया, एस्टोनिया, इथियोपिया, जॉर्जिया, लाटविया, लिथुआनिया, मेक्सिको, मोज़ाम्बिक, ताइवान और उरुग्वे।

चल रहे वार्ता (18 नंबर): ऑस्ट्रिया, क्यूबा, साइप्रस, चेक गणराज्य, मिस्र, जर्मनी, कोरिया, कुवैत, मॉरीशस, न्यूजीलैंड, ओमान, पुर्तगाल, कतर, सऊदी अरब, सर्बिया, स्लोवाक, गणतंत्र, स्लोवेनिया और तुर्की। विचाराधीन वार्ता (8 नंबर): बेल्जियम, चीन, आयरलैंड, इटली, जॉर्डन, कजाखस्तान, सीरिया और तुर्कमेनिस्तान। जिन देशों ने अन्य लेखों या पूर्ण डीटीए (6 नंबर) की संशोधन की मांग की है: बुल्गारिया, कनाडा, जापान, मंगोलिया, रूस और यूएसए।

प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा की गई (12 नंबर): बोत्सवाना, ग्रीस, हंगरी, किर्गिज गणराज्य, लीबिया, मोंटेनेग्रो, फिलीपींस, सूडान, त्रिनिदाद और टोबैगो, युगांडा, यूक्रेन और वियतनाम।

अनुबंध – III

संगठन की पद संख्या में बढ़ोत्तरी (पदवार जुलाई, 2011 से) निम्नानुसार है:-

पद का नाम	तैनात कर्मचारियों की संख्या 01.07.2011 के अनुसार	तैनात कर्मचारियों की संख्या 28.03.2014 के अनुसार
विशेष प्रवर्तन निदेशक	03	05
अतिरिक्त प्रवर्तन निदेशक	01	02
अतिरिक्त निदेशक (अभियोजन)	00	01
उप कानूनी सलाहकार	01	01
सहायक कानूनी सलाहकार	07	08
संयुक्त निदेशक	12	14
उप निदेशक	17	17
सहायक निदेशक	27	78
सहायक निदेशक (राजभाषा)	01	01
प्रवर्तन अधिकारी	92	116
सहायक प्रवर्तन अधिकारी	75	149
मंत्रालयी	163	158
वरिष्ठ हिंदी ट्रांसलेटर	05	05
समूह-ग (अन्य)	158	129
सिस्टम विश्लेषक / वैज्ञानिक तकनीक सहायक।	12	10
कुल	574	694

सर्वे के आंकड़ें

वित्तीय वर्ष	संचालित सर्वे की संख्या	पता लगाई गई अघोषित आय (करोड़ रू. में)
2009-10	4680	4857.1
2010-11	3911	5894.44
2011-12	3706	6572.75
2012-13 [दिसम्बर तक 2012]	2603	8254.41

* अनंतिम आंकड़ें

तलाशी और जब्ती आंकड़ें

वित्तीय वर्ष	अधिकारों की संख्या	जब्त संपत्ति की कीमत (करोड़ रू. में)				स्वीकार की गई अघोषित आय
		नकद	आभूषण	अन्य संपत्ति	कुल	
2009-10	3454	300.97	132.2	530.33	963.5	8101.35
2010-11	4852	440.28	184.15	150.55	774.98	10,649.16
2011-12	5260	499.9	271.39	134.3	905.6	14017
2012-13 [दिसंबर, 2012 तक]	2814	276.23	134.34	42.96	453.53	6798.93

* अनंतिम आंकड़ें

अभियोजन आंकड़ें

वर्ष	दायर शिकायतें	निर्णित मामले	कंपाउंडिड मामले	दोष सिद्धि मामले	सफल मामले	निपटान दर
2009-10	312	599	291	32	323	53.9
2010-11	244	356	83	51	134	37.6
2011-12	197	593	397	14	411	69.3
कुल	753	1548	771	97	868	56.1